राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक प. 25 (16) साप्र/4/15 जयपुर, दिनाक 7.10.15

1. निदेशक सम्पदा निदेशालय, जयपुर।
2. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, जयपुर।
4. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल/सामुदायिक केन्द्र, गांधीनगर, जयपुर।
5. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान।

विषयः– सरकारी विभागों में वर्तमान मीटर के स्थान पर प्री–पैड मीटर लगाने के संबंध में।

संदर्भः– मुख्य सचिव द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.15(28) ऊर्जा/2014 दिनांक 09.07.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (प्रतिसंलग्न) के अनुसार आपके कार्यालय में स्थापित वर्तमान मीटर के स्थान पर प्री–पैड मीटर लगाने के संबंध में प्राप्त विद्युत वितरण निगम के मांग पत्र पर कार्यवाही संयुक्त शासन सचिव (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग) वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 1(4)/वित्त/साविलेनि/2006 दिनांक 29.9.2015 (प्रतिसंलग्न) के अनुसार कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एम.के.खींची)
शासन उप सचिव (क)

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

क्रमांक: प.15(28)ऊर्जा / 2014 जयपुर, दिनांक 9.07.2015

परिपत्र

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु दिनांक 05.10.2012 को वित्तीय पुर्नगठन योजना (एफ.आर.पी.) को प्रतिपादित किया। राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात राजस्थान के तीनो विद्युत वितरण निगमों द्वारा उक्त योजना को क्रियान्वित करने की सहमति दी गई। योजना की अनिवार्य शर्तों में एक शर्त यह भी है कि सभी सरकारी विभागों के विद्युत सम्बन्धों पर प्री पैड मीटर लगाये जायें ताकि राजकीय विभागों की तरफ विद्युत बिलों की बकाया राशि न रहे।

उक्त शर्त की पालना में सभी सरकारी विभागों में वर्तमान मीटर के स्थान पर प्री पैड मीटर लगाना आवश्यक है।

सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम, समस्त सरकारी विद्युत कनेक्शनों को प्री पैड कनेक्शनों में परिवर्तित कर रहे हैं। इस हेतु समस्त जिला मुख्यालय पर वैन्डिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे। प्री पैड मीटर स्थापित करने हेतु विद्युत वितरण निगमों द्वारा समस्त सरकारी कार्यालयाध्यक्षों को इस हेतु नोटिस जारी किये जायेंगे। अतः समस्त सरकारी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि नोटिस मिलते ही वे प्री पैड मीटर लगवाने की कार्यवाही करें। इस हेतु उन्हें विद्युत वितरण निगमों द्वारा स्थापित वैन्डिंग स्टेशनों से उचित राशि का टोकन खरीदना होगा।

विद्युत वितरण निगम द्वारा प्री पैड मीटर लगाने से सम्बन्धित नोटिस प्राप्ति के बावजूद यदि किसी अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम द्वारा अपने स्तर पर वर्तमान में स्थापित पोस्ट पैड मीटर को हटाकर उसके स्थान पर शून्य शेष (Zero Balance) पर प्री पैड मीटर स्थापित कर दिया जायेगा जिसके कारण अग्रिम भुगतान न किये जाने की अवस्था में कुछ दिन पश्चात् विद्युत आपूर्ति स्वतः ही बंद हो जायेगी।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष, शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके अधीन समस्त कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सी. एस. राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज0 राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0 / राज0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0
4. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर / जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम
6. रक्षित [illegible]

प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

क्रमांक: जे.पी.डी. / मु.ले.(नि.) / पत्रा. [illegible] / डी. 1593 जयपुर, दिनांक 14-7-15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, ... ।
2. अधीक्षण अभियन्ता (पवस / जजिवृ / जनवृ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, ... ।
3. लेखाधिकारी (पवस / जजिवृ / जनवृ) ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, ... ।

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प. 1(4) वित्त/साविलेनि/2006 जयपुर, दिनांक : 29-9-2015

आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड–I के भाग–I में संशोधन

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमो के खण्ड–I के भाग–I में निम्न प्रकार संशोधन करने के आदेश एतद्द्वारा प्रदान करते हैं :–

After the existing sub-rule (2) of Rule 310 of GF&AR-Part-I, new sub-rule (3) shall be added as under :-

"(3) **Sanction of advances against energy consumption charges through prepaid meters of Vidyut Vitran Nigams** : In cases where a department/Head of the Department/Head of Office is required to make advance against energy consumption charges through prepaid meters of Vidyut Vitran Nigams they may sanction the drawal of advance. An account of such advance shall be kept."

आज्ञा से,

(उर्मिला जोशी)
संयुक्त शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–
1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
8. महालेखाकार (आर्थिक एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त। 10. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर। 12. समस्त कोषाधिकारी।
13. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
14. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
15. विधि (रचना) [illegible] को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को [illegible] ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके।
16. [illegible] वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या [illegible] दिनांक [illegible] के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

हरीश लढ़ढा
मुख्य लेखाधिकारी

GFRRULES (GF&AR – 15/2015)